

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
पटना डेयरी प्रोजेक्ट

फुलवारीशरीफ, पटना ८०१५०

पत्रांक:- पी०डी०पी० : विपनन : 1962

दिनांक :- 02.06.2025

निविदा सूचना

राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत सुधा होल-डे मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण।

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) पटना जो सुधा ब्राण्ड का स्वामित्व धारक है, राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन/अन्य सरकारी संस्थानों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये सारण जिले के 05 (पॉच) स्थलों हेतु इच्छुक निविदा दाता, जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों एवं पात्रता पूरी करते हों, से सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा आमंत्रित करती है।

निविदा दाता निविदा प्रपत्र एवं फार्म, निविदा के नियम व शर्तें पटना डेयरी प्रोजेक्ट के वेबसाइट www.patnadairy.org से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा फार्म को खुली निविदा के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित शुल्क को संलग्नित करते हुए भरा जायेगा। बन्द लिफाफे के उपर "सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन / अन्य सरकारी संस्थानों/ विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन" के साथ-साथ आवेदक का नाम, पता, मो०न० एवं सुधा पार्लर हेतु आवेदित स्थल का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।

वेबसाइट पर निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता :- दिनांक 03.06.2025 से 23.06.2025।
निविदा फार्म भर कर जमा करने की अंतिम तिथि :- 28.06.2025 अपराह्न 5.00 बजे तक।

निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरकर बंद लिफाफे में संबंधित दस्तावेजों एवं पंजीकरण शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट को संलग्न करते हुए निर्बंधित डाक/कुरियर/हाथों-हाथ के माध्यम से निम्न पते पर निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अवश्य जमा करा दें। निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवंटन के उपरान्त भी यदि होल-डे मिल्क पार्लर का निर्माण किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में आवेदक को निर्गत आवंटन आदेश रद्द करते हुए उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक,

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक संघ लि०

फीडर बैलेंसिंग डेयरी कॉम्प्लेक्स

पो०- फुलवारीशरीफ, पटना - 801505

वैशाली जिला में अवस्थित स्थलों की सूची जहाँ के लिए आवेदन आमंत्रित है।

क्रम संख्या	जिला का नाम	स्थल का नाम	पंजीकरणशुल्क	अग्रधनराशि
1	वैशाली	प्रखंड कार्यालय, भगवानपुर, वैशाली	रु 1000/-	रु 10000/-
2	वैशाली	नियर हाई स्कूल फतेहपुर पकड़ी, महुआ, वैशाली	रु 1000/-	रु 10000/-
3	वैशाली	शनिचरा हाट, राजापाकर, वैशाली	रु 1000/-	रु 10000/-
4	वैशाली	नियर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघोपुर, वैशाली	रु 1000/-	रु 10000/-
5	वैशाली	प्रखंड कार्यालय, सहदेइ बुजुर्ग, वैशाली	रु 1000/-	रु 10000/-

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये कोई भी निविदा या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रबंध निदेशक

खंड-1
(तकनीकी निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र
(आवेदक द्वारा ऑफ लाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

(हाल के पासपोर्ट
आकार का रंगीन
फोटो चिपकाएँ)

1. जिला का नाम :
2. आवेदित स्थल का नाम :
(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)
3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :
4. आवेदक का पता
(क)वर्तमान पता :
.....
.....
(ख)स्थायी पता :
.....
.....
(कृपया क्रम संख्या 3 (क) एवं (ख) में उल्लेखित पते से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
5. मोबाईल नम्बर : ई-मेल :
6. आवेदक का आधार कार्ड संख्या :
(कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
7. पैन कार्ड नम्बर :
(कृपया पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
8. स्थायी निवास प्रमाण पत्र :
(आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
9. शैक्षणिक योग्यता(साक्षर) :
(कृपया प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

10. उम्र (निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम-21 वर्ष) :

(कृपया जन्म प्रमाण पत्र, कोई अन्य दस्तावेज या दसवीं पास का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित है।)

11. स्व घोषणा प्रमाण पत्र:

(आवेदक द्वारा संलग्नित "स्वघोषित प्रमाण पत्र" संलग्न करना आवश्यक होगा।)

12. क्या आवेदक स्वस्थ है ? हाँ/ नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही ✓ का निशान लगावें)

(वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा माँग किये जाने पर आवेदक द्वारा किसी पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्नित करना होगा।)

13. निविदा में आमंत्रण हेतु निबंधन शुल्क एवं अग्रधन राशि :-

(आवेदनकर्ता निर्धारित रजिस्ट्रेशन फी रु० 1,000.00 एवं अग्रधन की राशि रु० 10,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो अलग-अलग हो एवं वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के नाम या उनके द्वारा बताये गये नाम पर निर्गत एवं भुगतये हो, संलग्नित करें।)

14. व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता :

(व्यवसाय हेतु न्यूनतम कार्यशील पूँजी रु० 100000.00 होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा-फिक्स्ड डिपोजिट या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।)

नोट:

- सुधा मिल्क पार्लर हेतु आवेदन करने से पहले निविदा दाता/आवेदक निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़, समझ लें।
- क्रम संख्या 1 से 14 तक अनिवार्य सभी शर्तों को पुरा करना होगा। अगले दौर की चयन प्रक्रिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवेदक आवश्यक जानकारी ठीक से भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करेंगे।
- सफल उम्मीदवारों को कार्य के आवंटन से पहले FSSAI License प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदा दाता का वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोला जायेगा।

स्व प्रमाणित घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं संलग्नित दस्तावेज में दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय मिथ्या/गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द माना जायेगा। मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित किया जा सकता है तथा इसके लिए मैं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

स्व घोषणा प्रमाण पत्र

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/है अथवा नहीं ।

हाँ/ नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही ✓ का निशान लगावें)

2. मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, गटना या कॉम्पेड से संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत हूँ/है अथवा नहीं ।

हाँ/ नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही ✓ का निशान लगावें)

यदि 2 का उत्तर हाँ है, तो निम्न ब्यौरा भरें ।

मैं (आवेदक का नाम).....

स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती (कार्यरतकर्मी का नाम)

.....

(संघ/इकाई का नाम).....के

(पदनाम)..... के पद पर

(पदस्थापन का स्थान)में कार्यरत है,

एवं मेरे (आवेदक के साथ संबंध).....हैं ।

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

खंड-II
(वित्तीय निविदा)

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र
(आवेदक द्वारा ऑफ लाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए)

1. जिला का नाम :
2. आवेदित स्थल का नाम :
(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)
3. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) :
4. सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटन हेतु समर्पित किये जाने वाले दर (रु0 प्रतिमाह)

अंकों में

शब्दों में

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

परिशिष्ट "क"

राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन/ अन्य सरकारी संस्थान/ विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर आधारित सुधा होल-डे मिल्क पार्लर (WDMB) के आवंटन एवं संचालन प्रक्रिया हेतु नियम व शर्तें ।

- 1.0 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन का उद्देश्य एवं प्रक्रिया -
- 1.1 सात निश्चय पार्ट-2 कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना (कॉम्फेड) के द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न प्रखंडों / जिलों को आच्छादित करते हुए कुल 600 सुधा विपणन केन्द्र सुधा (होल-डे मिल्क पार्लर) का निर्माण चार वित्तीय वर्षों 2021-22 से लेकर 2024-25 तक किया जायेगा । प्रत्येक दुग्ध सुधा होल-डे मिल्क पार्लरों के आधारभूत संरचना के विकास यथा प्रि-फैब्रिकेटेड सुधा होल-डे मिल्क पार्लर , पक्का सिविल संरचना युक्त होल-डे मिल्क पार्लर , डीप फ्रीज एवं विद्युत फिटिंग व साज सज्जा का व्यय कॉम्फेड द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 1.2 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर बिहार राज्य के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है । बिहार सरकार द्वारा योजना की संजुरी से सुधा उत्पादकों के विपणन के साथ-साथ बिहार के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी ।
- 1.3 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) द्वारा किया जायेगा । सुधा होल-डे मिल्क पार्लरों के लिए वैशाली जिला में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त स्थलों पर निर्मित सुधा मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु निविदा प्रकाशन , आमंत्रण व आवंटन की प्रक्रिया वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) द्वारा संपादित किया जायेगी ।
- 1.4 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन की सूचना के व्यापक प्रचार हेतु वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से खुला विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा । निविदा की सूचना प्रपत्र पटना डेयरी के वेबसाईट www.painadairy.org पर उपलब्ध रहेगा ।
- 1.5 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन एवं संचालन की अवधि प्रथम बार तीन वर्षों हेतु होगी , जिसे सफलतापूर्वक संचालन एवं बिक्री आकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्षों की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है । आवंटन की गणना एकरारनामा संपादित होने की तिथि से मान्य होगी ।
- 1.6 आवंटी वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे । आवंटी के कॉम्फेड या पटना डेयरी प्रोजेक्ट के कर्मचारी या प्रतिनिधि के तौर पर भी स्वयं को स्थापित नहीं करेंगे और इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।
- 1.7 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौता के निष्पादन के उपरान्त भी यदि पात्रता मापदंड के संबंध में प्रस्तुत दावों / कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी ।
- 1.8 आवंटी/संचालक को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) के साथ रु0 1000/- के नन ज्यूडीशियल स्टाप पेपर पर एकरारनामा संपादित करना होगा। अनुबंध का प्रारूप वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 1.9 प्राप्त आवेदनो की प्रारंभिक जाँच वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) के द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी ।
- 1-10 आवेदनों का प्रारूप का निर्धारण जिसमें आवेदनकर्ताओं के लिए नियम शर्तें होगा तथा प्राप्त आवेदनो की स्कूटनी का कार्य निविदा की प्रक्रिया इत्यादि पूरा करने का कार्य वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के स्तर से की जायेगी । स्कूटनी किये गये आवेदको का वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के प्रबंध निदेशक द्वारा गठित उच्च स्तरीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थिति किया जायेगा । गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों में संघ के प्रभारी लेखा , विपणन प्रभारी एवं कोई एक वरीयतम पदाधिकारी होंगे ।

समिति के अन्य सदस्यों में जिला गव्य पदाधिकारी या उनके नामित प्रतिनिधि तथा कॉम्पेड मु० के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गठित उच्च स्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के प्रबंध निदेशक अधिकृत होंगे।

पटना जिला के अन्तर्गत सुधा मिल्क पार्लरों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी का कार्य, निविदा की प्रक्रिया इत्यादि पूरा करने का कार्य वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के स्तर से की जायेगी। स्कूटनी किये गये आवेदनों को प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के द्वारा गठित उच्चस्तरीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा जिसके अध्यक्ष प्रबंधक, निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना होंगे। गठित उच्चस्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आलोक में अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना अधिकृत होंगे।

2.0 चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रण:-

2.1 सुधा होल-डेमिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा की सूचना डेयरी के वेबसाइट www.patnadairy.org पर उपलब्ध होगा एवं सूचना का प्रकाशन वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

2.2 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन पत्र Offline द्वारा निविदा दो बोली प्रणाली (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) माध्यम से किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल उम्मीदवार का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा जिसमें बूथ संचालन हेतु अधिकतम दर समर्पित करने वाले को वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत बूथ संचालन कार्य आवंटित किया जायेगा। आवेदन भरने की संबंधित जानकारी, दिशा निर्देश एवं नियम व शर्तें इस निविदा में तथा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के वेबसाइट www.patnadairy.org पर भी दी गयी है। आवेदक से अनुरोध है कि निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व इस में निहित सभी नियम व शर्तें ध्यान पूर्वक पढ़ लें।

2.3 आवेदक तकनीकी निविदा (खण्ड-1) के फॉर्म को भर कर उस में माँगी गयी जानकारियों का ब्यौरा एवं संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगे। तकनीकी निविदा को एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-1) में सील बंद करेंगे। लिफाफा-1 के उपर "तकनीकी निविदा" अवश्य लिखें।

वित्तीय निविदा (खण्ड-11) को भी एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-2) में आवेदक अपनी वित्तीय दर समर्पित कर उसे सील बंद स्थिति में समर्पित करेंगे। लिफाफा-2 के उपर "वित्तीय निविदा" अवश्य लिखें।

उपरोक्त वर्णित दोनों लिफाफा (लिफाफा-1 एवं लिफाफा-2) को एक अन्य लिफाफा (लिफाफा-3) में डालकर उसे सील बंद करेंगे।

आवेदक अपने सभी तीनों लिफाफे पर "राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन" एवं "आवेदित स्थल का नाम" के साथ-साथ आवेदक अपना नाम, पता व मोबाईल/दूरभाष नं० अवश्य लिखेंगे।

2.4 निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2.5 निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों की जाँच वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के नामित समिति द्वारा की जायेगी।

2.6 चयनित उम्मीदवार को निविदा प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के नामित पदाधिकारी या समिति को दिखाना होगा।

- 2.7 आवेदनों की जाँच के उपरांत एक से अधिक पात्र उम्मीदवारों के द्वारा समर्पित की गयी अधिकतम दर समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में समान रूप से अधिकतम दर समर्पित करने वाले पात्र उम्मीदवारों के बीच के लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन होगा।
- 2.8 दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध की आगे की प्रक्रिया, सुरक्षा राशि जमा करना और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा किया जायेगा। निर्गत औपबन्धिक कार्यादेश Letter of Award (LOA) आवंटन आदेश की एक प्रति कॉम्पेड मु० को प्रेषित की जायेगी।
- 2.9 यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अथवा तकनीकी कारणों से आवेदक की पात्रता रद्द हो जाती है, तब शेष बचे सभी पात्र आवेदकों में से ही अधिकतम दर समर्पित करने वाले को चयनित किया जायेगा। चयन के उपरांत यदि चयनित आवेदक के द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में दूसरा सब से अधिक दर समर्पित करने वाले निविदा दाता को प्रथम तथा सबसे अधिक समर्पित करने वाले दर पर ही काम करने की सहमति ली जाएगी। सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही उन्हें आवंटन हेतु अग्रतर कार्यवाही की जाएगी।

यदि दूसरा निविदा दाता भी प्रथम तथा सब से अधिक समर्पित किए गये दर पर कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में तीसरे सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले निविदा दाता से प्रथमतया सबसे अधिक प्राप्त दर पर कार्य करने हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी। सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य आवंटन हेतु अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

सबसे अधिक दर समर्पित करने वाले सफल निविदा दाता द्वारा कार्य करने से मना करने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

- 2.10 चयनित सफल उम्मीदवार / निविदा दाता को औपबन्धिक Letter of Award (LOA) निर्गत किया जायेगा। औपबन्धिक Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति अभिलेख हेतु वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना में जमा करना होगा।
- 2.11 आवंटनको रू० 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) की सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट (मूलप्रति) के रूप में वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के कार्यालय में जमा करना होगा।
- उपरोक्त सभी दस्तावेजों के जमा होने के पश्चात् औपबन्धिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा।
- 2.12 यदि कोई चयनित उम्मीदवार को औपबन्धिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश निर्गत किया जाता है एवं औपबन्धिक Letter of Award (LOA) कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत उनके द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि रू० 10,000.00 (दस हजार) जब्त कर ली जाएगी।
- 2.13 वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा अनुबंध के तहत अन्तिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु सुधा होल-डे मिल्क पार्लरों का संचालन हेतु कार्य आवंटित किया जायेगा जिसे सफलता पूर्वक संचालन एवं बिक्री आँकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है।
- 2.14 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरांत भी यदि पात्रता मापदंड के संबंध में प्रस्तुतदावों/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

3.0 पात्रता मापदंड:-

- 3.1 शैक्षणिक योग्यता :- न्यूनतम साक्षर (प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।
- 3.2 आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। (आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।
- 3.3 उम्र :- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम-21वर्ष ।
- 3.4 आधार कार्ड संख्या :-
(पहचान के प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्नित करें)।
- 3.5 आवेदक को "स्व घोषणा प्रमाण पत्र" संलग्न करना होगा जिसमें आवेदक के द्वारा घोषित किया जायेगा कि :-

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/हैं या नहीं ।

2. (अ) मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि०, पटना या कॉम्फेड से संबद्ध दुग्ध संघ / इकाई में कार्यरत हूँ/हैं या नहीं ।

(व) यदि 2 (अ) का उत्तर हाँ है, तो निम्न ब्यौरा सहित स्वघोषणा पत्र समर्पित करें ।

मैं (आवेदक का नाम)....., स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती (कार्यरत कर्मी का नाम) (संघ/इकाई का नाम).....के (पदनाम).....
..... के पद पर (पदस्थापन का स्थान)में कार्यरत है, एवं मेरे (आवेदक के साथ संबंध)
..... है ।

(उदाहरणार्थ :- मैं प्रवीण कुमार सिंह, स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमती रणवीर कुमार सिंह जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, मुजफ्फरपुर के डेयरीवर्कर के पद पर सीवान में कार्यरत है, मेरे पिता है।)

ऐसे आवेदक, (1) जिन्हें स्वयं या उनके परिवार में किसी सदस्य को पूर्व से होल-डे मिल्क पार्लर आवंटित है, उन्हें अथवा उनके परिवार के सदस्य को एवं (2) कॉम्फेड या कॉम्फेड के संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत वर्तमान कर्मी को इस योजना के अन्तर्गत होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन नहीं किया जायेगा।

(स्वघोषणा पत्र का प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न है।)

- 3.6 रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अग्रधन राशि :- आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य) सभी वर्गों के लिए रू० 1000.00 (एक हजार) एवं अग्रधन की राशि रू० 10,000.00 (दस हजार) निर्धारित है । आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन राशि के रूप में आवेदन के साथ अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन के साथ पंजीकरण शुल्क एवं अग्रधन की राशि संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- 3.7 आवेदन कर्ता निर्धारित पंजीकरण शुल्क राशि एवं अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के नाम या उनके द्वारा बताये गये नाम पर निर्गत एवं भुगतये हो, संलग्नित करेंगे।
- 3.8 वित्तीय योग्यता :- (व्यवसाय हेतु आवेदक के पास न्यूनतम राशि रू० 1,00,000/- होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा-फिक्स डिपोजिट, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक के स्वयं के खाते में रू० 1,00,000/- की राशि जमा रहने का प्रमाण (passbook) की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, खाता सं० दर्ज हो तथा संबंधित पृष्ठ जिसमें राशि जमा रहने का प्रमाण अंकित हो) या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।)

- 3.9 आवेदक को रक्ख होना आवश्यक है । वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा भौग किये जाने पर आवेदक को किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रदान करना होगा ।
- 3.10 असफल निविदा दाता को अग्रधन की राशि रू० 10,000/- वापस कर दी जायेगी जिस पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा ।
- 3.11 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरांत, कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षा राशि रू 1,00,000/- (एक लाख) (वापसी योग्य) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा । अंतिम रूप से चयनित आवेदक (आवंटी) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी अग्रधन की राशि रू० 10,000.00 (दस हजार) को सुरक्षा राशि को समायोजित कर ली जायेगी एवं शेष बचे रू० 90,000.00 (नब्बे हजार) आवंटों को जमा करना होगा । सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।
- 3.12 चयन के उपरांत सफल उम्मीदवार को एक माह के भीतर पैन कार्ड एवं FSSAI प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा ।
- 3.13 पात्रता मापदंड के तहत बिन्दु सं० 3.1 से 3.9 तक अनिवार्य सभी पात्रता मापदंड शर्तों को पूरा करना होगा । मानदंड शर्तों को पूरा नहीं करने पर आवेदक को असफल घोषित करते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन की प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जायेगा ।
- 3.14 तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदा दाता का वितीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उनका वितीय निविदा नहीं खोला जायेगा ।

4.0 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु Standard Operating Procedure (S.O.P)

- 4.1 बिक्री हेतु सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के संचालन का समय सुबह 6:00 AM से रात्रि 9:00 PM तक निर्धारित रहेगा ।
- 4.2 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालक को मार्ग प्रभारी द्वारा निर्धारित किये गये समय के अनुसार दूध/दुग्ध उत्पाद प्राप्त करना होगा ।
- 4.3 प्रत्येक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, जिसका प्रबंधन संघ से संबंधित विपणन क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जायेगा । सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को उपलब्ध कराये गये सारे सम्पत्तियों का अधिकार वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना का होगा ।
- 4.4 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं सुधा ब्रांड की पहुँच बढ़ाने हेतु प्रत्येक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का बिक्री लक्ष्य बाजार क्षमता को ध्यान रखते हुए वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।
- 4.5 आवंटी/संचालक को सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की अधिकतम रेंज रखनी होगी । किसी अन्य उत्पाद या ब्रांड के उत्पादों को तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक की उसे विशेष रूप से लिखित अनुमति नहीं दी जाती है ।
- 4.6 आवंटी/संचालक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए केवल वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा संबंधित क्षेत्र हेतु नियुक्त वितरक के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जायेंगे । आपके द्वारा किसी अन्य वितरक से सुधा उत्पादों को क्रय नहीं किया जायेगा ।
- 4.7 आवंटी/संचालक द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का भुगतान संबंधित वितरक को अग्रिम रूप में किया जायेगा ।
- 4.8 आवंटी/संचालक को कॉम्पेड या वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा प्रदान की गयी निर्धारित दर अथवा अधिकतम खुदरा मूल्य (M.R.P) पर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री करना होगा तथा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सामने एम.आर.पी. की सूची प्रदर्शित करनी होगी ।

- 4.9 चयनित आवंटी/संचालक को सुधा होल-डे मिल्क पार्लर परिसर के पास साफ-सफाई एवं कचरा पेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 4.10 इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों की समय-समय पर सर्विसिंग/रख रखाव आवंटी/संचालक द्वारा किया जायेगा तथा इससे संबंधित किसी भी प्रकार का खर्च आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।
- 4.11 चयनित आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर परिसर के समीप अस्थायी स्टॉल का निर्माण कर किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं है।
- 4.12 विशेष अवसरों हेतु, आवंटी/संचालक को अपने संबंधित वितरकों को अधिक भाँग के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।
- 4.13 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर किसी भी दिन बन्दन हीं होनी चाहिए। यद्यपि परिस्थितियाँ असामान्य होने पर आवंटी/संचालक द्वारा संबंधित प्राधिकारी को पूर्व में सूचना प्रदान की जायेगी।
- 4.14 दूध और दुग्ध उत्पादों की डिलीवरी लेते समय आवंटी/संचालक द्वारा प्राप्त वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा की जाँच अवश्य करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.15 चयनित आवंटी/संचालक ग्राहकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी व्यक्ति व पुशकार्ड व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का वेतन आवंटी/संचालक को हीं प्रदान करना होगा।
- 4.16 आवंटी/संचालक सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के बेहतर संचालन हेतु अधिकतम दो सेल्स मैन को नियुक्त कर सकते हैं जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। सेल्समैन का वेतन आवंटी/संचालक को हीं प्रदान करना होगा।
- 4.17 आवंटी/संचालक को उन वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन सुनिश्चित करना होगा जिन्हें कम और विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। आवंटी/संचालक को सभी उत्पादों की अधिकतम बिक्री करने का प्रयास करना होगा।
- 4.18 संबंधित क्षेत्र वितरक के द्वारा यदि आवंटी/संचालक को किसी भी प्रकार की विसंगति पूर्ण, त्रुटि पूर्ण दर पर सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जाते हैं या वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के वितरक के संबंध में कोई शिकायत होतो ऐसे मामलों को आवंटी/संचालक द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया जायेगा।
- 5.0 रख रखाव एवं अन्य शुल्कों का भुगतान:-
- 5.1 आवंटी/संचालक को Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति रिकार्ड हेतु संबंधित संघ/इकाई को इसकी छाया प्रति जमा करना होगा।
- 5.2 आवंटी/संचालक को निविदा के आलोक में देय आवंटित मासिक किराया/दर प्रत्येक माह के पाँच तारीख को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित मासिक आवंटित दर में प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत 15% की वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किराया यदि भूमि के लिए लागू हो उसे आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।
- 5.3 आवंटी/संचालक को बिजली बिल, मरिफिक रख-रखाव किराया/दर, पानी शुल्क तथा अन्य वैधानिक खर्च प्रत्येक माह के पाँच तारीख के पूर्व वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना में जमा करना होगा एवं बिल की छाया प्रति वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा। बिजली व पानी आदि आवश्यक का कनेक्शन आवंटी को स्वयं के नाम पर लेना आवश्यक होगा।
- 5.4 आवंटी/संचालक को सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अन्दर उपलब्ध सम्पत्ति के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर भवन का बीमा कराना चाहिए तथा बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम समय पर जमा करना होगा। बीमा रसीद का प्रमाण संबंधित वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

- 5.5 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा अधिकतम डिजिटल भुगतान के माध्यम से उत्पादों की खरीद/बिक्री की जानी चाहिए।
- 6.0 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का समापन:-
- 6.1 आवंटित सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कार्यकाल प्रारंभ होने की गणना एकरारनामा के तिथि से की जायेगी। प्रदर्शन के आधार पर आवंटन कार्यकाल प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आवंटी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो एकरारनामा निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधा होल-डे मिल्क पार्लर किसी अन्य पक्ष को आवंटित कर दिया जायेगा।
- 6.2 यदि चयनित आवंटी/संचालक के द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किया जाता है या जुर्माना अथवा चेतावनी पत्र देने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए अनुबंध/एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है:-
- (क) आवंटी/संचालक का बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर।
- (ख) यदि आवंटी/संचालक द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना से सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।
- (ग) यदि आवंटी/संचालक द्वारा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।
- (घ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को उप-पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।
- (ङ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा उत्पादों को निर्धारित दर (M.R.P) से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।
- (च) यदि वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा आवंटित सुधा मिल्क सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी/संचालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया जाता है।
- 6.3 वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना को आवंटी/संचालक के साथ हुए रामझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना को ज्ञात होता है कि आवंटी/संचालक द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना सुधा ब्राण्ड या ग्राहकों के हित के विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना या सुधा ब्राण्ड की छति खराब हो रही है।
- 6.4 आवंटी/संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को सौंपकर करने की स्थिति में आवंटी/संचालक को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी।
- 6.5 पुनः आवंटन खुली निविदा के माध्यम से आवेदकों के चयन की पूर्व के प्रक्रिया के तहत की जायेगी।
- 6.6 अनुबंध की समाप्ति के बाद, यदि सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को संचालक / आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं सौंपा जाता है, तब ऐसी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद दिनों की संख्या को अनाधिकृत कब्जा माना जायेगा, जिसमें प्रति दिन 100 रु० दण्डात्मक रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करने हेतु आवंटी/संचालक उत्तरदायी होगा। दंडात्मक किराये की गणना सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के अनाधिकृत कब्जे के दिनों की संख्या के आधार पर की जायेगी।

6.7 आवंटन समाप्ति की दशा में सभी मशीनरी, उपकरण, ब्रांडिंग सामग्री और फिटिंग आदि के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर को दो प्रतिगों में हैंडओवर और टेकओवर के माध्यम से वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना वैशाल या चयनित नये आवंटी/संचालक को सौंप दिया जायेगा, जिस पर वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के प्रतिनिधि एवं आवंटी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

6.8 आवंटन समाप्ति की दशा में पुराने आवंटी/संचालक के परिवर्तन के समय पुराने आवंटी/संचालक के द्वारा ही सभी बकाया राशि का निपटान एवं सुधा होल-डे मिल्क पार्लर में स्थित सभी स्टॉक का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर में लगाये/दिये सभी सम्पत्तियों का निश्चिण वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के अधिकृत संबंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि व कमी पाये जाने पर पुराने आवंटी/संचालक से उसकी क्षतिपूर्ति जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती की जायेगी।

7. अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) :

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना को वस्तु रिपति की लिखित जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु दिये गये कार्यदेश/संपादित किये गये एकरारनामा के आलोक में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं।

(ख) इस धारा/उपबंध/खण्ड "अप्रत्याशित घटना" (Force Majeure) को शामिल करने का उद्देश्य वैसी घटनाओं, परिस्थितियों में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सुचारु संचालन से है, जो आवंटी/संचालक या वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना के नियंत्रण से बाहर है एवं उसमें आवंटी/संचालक या वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पटना की लापरवाही या भूमिका शामिल नहीं है। हड़ताल, दुर्घटना, आगलगी, बाढ़, आँधी-तुफान, भुकम्प, महामारी अथवा शासन के आदेश या घोषणा के अनुपालनार्थ या वैसी परिस्थिति जो संबंधित सभी पक्षों के नियंत्रण में न हो, को शामिल करना है।

8. किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत से समाधान नहीं होने की दशा में विवाद का निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम-1996 (Arbitration & Conciliation Act-1996) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। कानूनी मामलों की दशा में न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।